Result Mitra Daily Magazine

धनगर समुदाय

❖ **हालिया संदर्भ :**

- महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में धनगरों के एक बडे समुदाय ने चारागाह गलियारे की मांग करते हुए मार्च निकाला।

❖ **धनगर समुदाय :**

- यह परंपरागत चरवाहों का एक समुदाय है, जो महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्रप्रदेश में बडी संख्या में निवास करते हैं।
- उन्हें 'गोल्ला' एवं 'कुसवा' जैसे नामों से भी जाना जाता है।
- यह समुदाय महाराष्ट्र में विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियों (VJNT) के रूप में सूचीबद्ध है, लेकिन दशकों से ये ST में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं।
- इस समुदाय के नेताओं का कहना है कि देश के अन्य हिस्सों में धनगर को 'धंगड' समुदाय के रूप में जाना जाता है और उन्हें ST के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है।

❖ चारागाह गलियारे का अतिक्रमण :

- समुदाय के अनुसार, वे लोग अनादि काल से ही अपने पशुओं को विशिष्ट मार्गों पर चराने के लिये ले जाते रहे हैं, लेकिन जब से वन-विभाग ने संरक्षित वनों को चिन्हित करना प्रारंभ किया है, तब से उन्हें अतिक्रमणकारी माना जाता है।
- वन-विभाग द्वारा इस समुदाय पर भारी जुर्माना लगाया जाता है एवं इसके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं।

❖ विशिष्ट मार्ग :

- इस समुदाय के लोग चराई के लिए विशिष्ट मार्ग अपनाते हैं।
- कुछ लोगों द्वारा विदर्भ-बुलढाणा-अमरावती एवं अकोला का मार्ग अपनाया जाता है, जबकि कुछ विदर्भ-बुलढाणा-अमरावती एवं चंद्रपुर के मार्ग पर पशुओं को ले जाते हैं।
- पश्चिमी महाराष्ट्र में रहने वाले समुदाय कोंकण तक जाते हैं।
- समुदाय के नेतृत्व के अनुसार, ये रास्ते समुदाय के लिये आर्थिक जीवन रेखा एवं सांस्कृतिक विरासत दोनों है, जिसमें बदलाव उनके आर्थिक हित की दृष्टि से संभव नहीं होगा।

❖ सह-अस्तित्व :

- समुदाय का मानना है कि छोटे जुगाली करने वाले जानवरों के चराई से जंगल को नुकसान नहीं होता है।
- वास्तव में भेड-बकरियों जैसे छोटे जानवर उन रास्तों की जैव-विविधता की दृष्टि से समृद्ध करते हैं, जहाँ से वे गुजरते है।
- समुदाय का कहना है कि चूँकि उनकी आजीविका जंगलों पर ही निर्भर है अतः जंगलों को नुकसान पहुँचाने के बजाय हम सह-अस्तित्व की भावना पर बल देते हुए जंगलों का संवर्धन करते आए है।
- चारागाह गलियारे की मांग उनके पारंपरिक मार्गों पर जानवरों के चराई करने की अधिकार की मान्यता की मांग है।

❖ ST में शामिल न होने की वजह :

- समुदाय द्वारा ST में शामिल किए जाने की मांग चराई गलियारे की मांग से संबद्ध है क्योंकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 ST समुदायों को निर्दिष्ट क्षेत्र में चराई सहित पारंपरिक व्यवसाय की अनुमति देता है।
- महाराष्ट्र के ST में शामिल अन्य समुदाय द्वारा ही धनगर को ST में शामिल किए जाने का विरोध किया जाता है, क्योंकि ऐसा होने से उनका कोटा कम हो जाएगा।

Result Mitra TM

❖ समुदाय की स्थिति :

- व्यवस्थित जातिगत-सामाजिक-आर्थिक सवेक्षण के अभाव में धनगरों की वर्तमान आबादी अनिश्चित है।
- ऐसा माना जाता है कि इनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड है, जो महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.2 करोड (2011 जनगणना) का लगभग 9% है।
- इस समुदाय की आबादी का लगभग 40% आबादी पूरी तरह से चराई प्रणाली पर निर्भर है।
- पश्चिमी महाराष्ट्र एवं विदर्भ क्षेत्र में इस समुदाय की महत्वपूर्ण स्थिति है, जो राजनीतिक दृष्टि से अहम है।
- राज्य के 48 लोकसभा एवं 288 विधानसभा सीटों में से धनगर समुदाय क्रमशः 4-5 एवं 30-35 सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते है।

❖ वन अधिकार अधिनियम, 2006 :

- इसका उद्देश्य कई पीढियों से वनों में निवास कर रही जनजातियों को वनाधिकार प्रदान करना है।

➢ इसके अंतर्गत वनवासियों की दो श्रेणी हैं :-

1. वन में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियाँ (FDST)
2. अन्य परंपरागत वन निवासी (OTFD)

➢ इस एक्ट के तहत वन अधिकारों का दावा करने के लिये निम्न मानदंड है -

- "जिस समुदाय ने 13 Dec 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढियों यानि 75 वर्षों से जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वन/वनभूमि का प्रयोग किया हो"।

Note :- इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार या समुदाय आधारित वन अधिकार की सीमा निर्धारण एवं प्रकृति निर्धारण की शक्ति ग्राम सभा को प्राप्त है।

Result Mitra TM